प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी 2025*

विषय:-जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती केवट पत्नी श्री मंगली केवट, निवासी जनपद-जालौन की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-1339/22-2-2023-17(444)2023, दिनांक 06 सितम्बर 2023 एवं अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर देहात के पत्र संख्या-1660(1)/ए0आर0 स्था0नी0 2023, दिनांक 09.09.2023 तथा उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-28798/प्रो(6)/224/स्वा0दि0-2023), दिनांक 19.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-12225/प्रो(6)/2024(स्वा0दि0 2023), दिनांक 17.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी मालती केवट (बन्दी संख्या-125/22) पत्नी श्री मंगली केवट, निवासी-विजवाहा, थाना-कुठौन्द, जनपद-जालौन को सत्र परीक्षण संख्या-218/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/120बी में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरया द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-10-2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दि0 27.05.2022 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत आदेश संख्या-1339/22-2-2023-17(444) 2023, दिनांक 06.09.2023 द्वारा परिहार करते हुए समयपूर्व रिहाई का स्वीकार आदेश निर्गत किया गया है।

3- इस संबंध में अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात के संदर्भगत पत्र 09.09.2023 एवं उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र दिनांक 19.09.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की समयपूर्व रिहाई हेतु निर्धारित की गयी स्थायी नीति के अन्तर्गत जारी शासनादेश दिनांक 01.08.2018 (यथासंशोधित) शासनादेश के अधीन एवं प्रतिबन्धित श्रेणी के प्रस्तर-3 (**X**) में यह प्राविधान है कि **"ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हे एक से अधिक अपराधिक प्रकरणों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है"** को समयपूर्व रिहाई से प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत महिला बंदी के एक अन्य वाद सत्र परीक्षण संख्या-46/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, थाना-सट्टी, जिला कानपुर देहात के वाद में मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 22.11.2007 द्वारा भी आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। अत: उक्त के क्रम में सिद्धदोष महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1339/22-2-2023-17(444)2023, दिनांक 06.09.2023 को निरस्त किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रश्नगत प्रकरण के परिशीलन से यह पाया गया कि प्रश्नगत महिला बंदी के विरूद्ध (1)-सत्र परीक्षण संख्या-218/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/120बी के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश औरैया के आदेश दिनांक 15-10-2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा (2)-सत्र परीक्षण संख्या-46/2005 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, थाना-सट्टी, जिला कानपुर देहात के वाद में मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 22.11.2007 द्वारा भी आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

5- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अधीक्षक जिला कारागार कानपुर देहात के पत्र 09.09.2023 द्वारा प्रेषित आख्या/सूचना के दृष्टिगत जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती केवट पत्नी श्री मंगली केवट, निवासी-जनपद-जालौन को शासनादेश दिनांक 01.08.2018 एवं संशोधन विषयक दिनांक 28.07.2021 तथा शासनादेश दिनांक 27.05.2022 की प्रतिबन्धित श्रेणी के प्रस्तर-3 (**X**) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समयपूर्व रिहाई हेतु पात्र न होने के दृष्टिगत राज्यपाल महोदया द्वारा प्रश्नगत बंदी की समयपूर्व रिहाई संबंधी पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-1339/22-2-2023-17(444)2023, दिनांक 06.09.2023 को सम्यक् विचारोपरान्त निरस्त करते हुए भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2025/3657(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
2- पुलिस अधीक्षक, जालौन।
3- अधीक्षक, जिला कारागार कानपुर देहात।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in